

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर./22592-22751 दिनांक 27/11/2013

विभागाध्यक्ष

समस्त।

विषय:- पे-मैनेजर पर उपलब्ध एम्पलॉई आई.डी. को ठीक करने के संबंध में।

संदर्भ:- निदेशालय का पूर्व पत्रांक 21740-21889 दिनांक 01.11.2013

महोदय,

पे-मैनेजर पर उपलब्ध एम्पलॉई आई.डी. में से जो एम्पलॉई आई.डी. राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग द्वारा मैच कर दी गई है उन्हें पे-मैनेजर पर फ्रीज कर दिया गया है, जो एम्पलॉई आई.डी. अभी भी मिस मैच है उसे संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी के स्तर से दिनांक 20.11.2013 तक ठीक करवाने हेतु निदेशालय के संदर्भित पत्र द्वारा आपको अनुरोध किया गया था लेकिन विधानसभा चुनाव 2013 के कार्यों के कारण उक्त मिस मैच एम्पलॉई आई.डी. अभी तक ठीक नहीं हो पाई है।

मिस मैच एम्पलॉई आई.डी. को ठीक करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी को अपने यूजर लॉगिन से पे-मैनेजर साइट पर मास्टर का चयन करने के पश्चात एम्पलॉई आई.डी. वेरीफिकेशन का चयन करना है जिसमें जी.पी.एफ. विभाग द्वारा जारी की गई एम्पलॉई आई.डी. की सूची का मिलान पे-मैनेजर पर उपलब्ध एम्पलॉई आई.डी. की सूची से करना है अगर इसमें किसी प्रकार की भिन्नता हो तो उसे पे-मैनेजर पर ठीक करना है।

पे-मैनेजर पर फ्रीज की जा चुकी एम्पलॉई आई.डी. में भी यदि कोई एम्पलॉई आई.डी. गलत है तो उसे ठीक करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी के माध्यम से निदेशालय कोष एवं लेखा को ई-मेल अथवा पत्र के माध्यम से सूचित किए जाने पर निदेशालय स्तर से ठीक किया जा सकेगा। अतः आपके अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित कर पे-मैनेजर पर उपलब्ध मिस मैच एम्पलॉई आई.डी. को दिनांक 20.12.2013 तक आवश्यक रूप से ठीक करवाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय



(वीरबाला जोशी)

निदेशक

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर./22752-793 दिनांक 27/11/2013

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, वित्त सचिव (बजट) शासन सचिवालय जयपुर
2. कोषाधिकारी समस्त
3. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर


संयुक्त निदेशक (IFMS)